भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
भारत सरकार
कार्यालय: टी-19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लाक- IV, धन्वन्तरि भवन,
मार्ग न0-66, , पंजाबी बाग(पश्चिम), नई दिल्ली &110026
National Commission for Indian System of Medicine
Govt. of India
Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

ncism
॥ आयुषे सर्वलोकानाम् ॥

दूरभाष / Phone
सभापति / Chairman: 25221001
सचिव / Secretary: 25221006
कार्यालय /Office: 25221002/3
पंजीयन / Registration: 25221004
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक : 20-28/2022-Regn. (SB)Uttar Pradesh दिनांक–11.02.2026

सेवा में,

प्रमुख सचिव
आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
लाल बहादुर शास्त्री भवन,
लखनऊ–226001(उत्तर प्रदेश)
ईमेल–psayushsr@gmail.com

विषयः– भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम 2023 को उत्तर प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आचार एवं पंजीयन बोर्ड में पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के चिकित्सीय–अभ्यास के अधिकार से संबंधित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये है। उक्त अभ्यावेदनों में आपके राज्य में जारी अधिसूचना के विषय में उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 के अध्याय 3 के विनियम 19 के अंतर्गत पंजीकृत आयुष चिकित्सकों के अधिकार वर्णित किए गए है–

- **उप–धारा–1 के अनुसार** *"चिकित्सक को किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने का अधिकार होगा, उसकी योग्यता के अनुसार, जो कि अधिनियम के अध्याय VI के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है या पाठ्यक्रम के अनुसार जो शिक्षा के न्यूनतम मानक, आवश्यकता के न्यूनतम मानक में शामिल है या उसकी योग्यता के अतिरिक्त उसकी प्रशिक्षण के अनुसार"*

- **उप–धारा–2 के अनुसार** *"अधिनियम के अध्याय VI में मान्यता प्राप्त योग्यता के अनुसार, या शिक्षा के न्यूनतम मानक, आवश्यकता के न्यूनतम मानक में शामिल पाठ्यक्रम के अनुसार या अपनी योग्यता के अतिरिक्त अपने प्रशिक्षण और कौशल के अनुसार विनियम 18 में निर्दिष्ट किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के निदान, उपचार या रोगों के शमन के लिए ऐसे किसी भी उपकरण का उपयोग करने का अधिकार होगा।*

- **उप–धारा–3 के अनुसार** *"चिकित्सक को ऐसी किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया, शल्य चिकित्सा या परामर्श, ऐसे किसी भी जाँच परीक्षण या प्रक्रिया परामर्श, निर्धारित संचालित करने, या ऐसी कोई चिकित्सा परामर्श देने का अधिकार होगा, जो अधिनियम के अध्याय VI में मान्यता प्राप्त उसकी अर्हता तक या शिक्षा के न्यूनतम मानक, आवश्यकता के न्यूनतम मानक में शामिल पाठ्यक्रम की सीमा तक या उसकी योग्यता के अतिरिक्त उसकी प्रशिक्षण अनुसार हो"*

- **उप–धारा–4 के अनुसार** *"चिकित्सक को अपने कर्तव्य के रूप में इमरजेंसी के समय रोगी को ऐसी कोई इमरजेंसी प्रक्रिया करने या ऐसी कोई औषधि देने का अधिकार होगा।"*

- **उप–धारा–5 के अनुसार** *"चिकित्सक को आयोग द्वारा निर्धारित टेलीमेडिसिन का अभ्यास करने और ऐसी दिशा–निर्देशों का पालन करने का अधिकार होगा।"*

- **उप–धारा–6 के अनुसार** *"चिकित्सक को मॉर्डन एडवांसेज के साथ अष्टांग आयुर्वेद का अभ्यास करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का अभ्यास करने का अधिकार होगा जैसा कि कम्पेंडियम ऑफ आयुर्वेद में उल्लेखित है।"*

- **उप–धारा–7 के अनुसार** *"यह विनियम किसी भी प्रकार से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सक के मौजूदा अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा"*

(English Version)

- **Sub-section (1)** *"The practitioner shall have the right to practice any such type of Medicine, to the extent of his qualification as is recognised under Chapter VI of the Act or to the extent of syllabus that is included in Minimum Standards of Education, Minimum Standards of Requirement or to the extent of his training other than to his qualification".*
- **Sub-section (2)** *"The practitioner shall have the right to use any such instruments either clinical, surgical, or of any other medical speciality for diagnoses, treatment, or mitigation of disease and such instruments used in any medical establishment as referred to in regulation 18, to the extent of his qualification as recognised in Chapter VI of the Act, or to the extent of syllabus that is included in Minimum Standards of Education, Minimum Standards of Requirement or to the extent of his training and skill other than his qualification".*
- **Sub-section (3)** *"The Practitioner shall have the right to advice, prescribe, or conduct any such medical procedure, surgery or advice, prescribe or conduct any such investigative test or procedure or give any such medical advice, to the extent to his qualification as recognised in Chapter VI of the Act, or to the extent of syllabus that is included in Minimum Standards of Education, Minimum Standards of Requirement or to the extent of his training other than his qualification".*
- **Sub-section (4)** *"The practitioner shall have the right to conduct any such emergency procedure or administer any such medicine to the patient at the time of emergency as part of his duty".*
- **Sub-section (5)** *"A practitioner shall have the right to practice telemedicine, and follow such guidelines, as laid down by the Commission".*
- **Sub-section (6)** *"The practitioner shall have the right to practice the procedures required to practice Ashtang Ayurveda supplemented with modern advancements as mentioned in Compendiums of Ayurveda".*
- **Sub-section (7)** *"This regulation shall not in any manner affect the existing rights and privileges of the practitioner provided by the concerned State Government and the Central Government".*

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, अधिनियम, 2020 एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (अचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023 को लागू करने का कष्ट करें।

11.02.26

डॉ. सुश्रुत कनौजिया
अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड
एनसीआईएसएम, नई दिल्ली

अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड
President, Board of Ethics and Registration
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
National Commission For Indian System of Medicine
पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
Punjabi Bagh (West), New Delhi -110026

छायाप्रतिः–

1. सभापति, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
2. रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0ए आयुर्वेद भवन, 32 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश (bimupup@gmail.com)
3. गार्ड फाईल।

डॉ. सुश्रुत कनौजिया
अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड
एनसीआईएसएम, नई दिल्ली